

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल
जिला - कोण्डागाँव, छत्तीसगढ़

☎ Telephone & ☎ Fax - 07848-299008, ✉ E-mail - dfokeshkal@gmail.com, GSTIN - 22AAAGK0512N1ZQ

क्रं./2544/मा.चि./FCA/2024-25

केशकाल, दिनांक 08/05/2024

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग
छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि.कांकेर
ईमेल - civil.dn.kanker@gmail.com

विषय :- Diversion of forest land non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 132/33 KV Sub-Station area 3.24 ha. At Keshkal Forest Division in District Kondagaon in State Chhattisgarh-Reg.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/Sub-Station/145115/2021

- संदर्भ :- 1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रं./FC-1/IROCH-23/2023/1446(A) दिनांक 03.07.2023
- 2) अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रं./भू-प्रबंध/विविध/115-25/1103 दिनांक 01.05.2024
- 3) आपका पत्र क्रं./का.अ./सिविल ट्रांस/23-24/243 दिनांक 26.07.2023

--*~*~*~*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र- 03 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) दर 966666.00 प्रति हेक्टेयर दर से राशि 3131998.00 जमा की गई थी। संदर्भित पत्र 02 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 अनुसार सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर 1169680.00 प्रति हेक्टेयर है।

अतः अंतर की राशि 657765.00 रुपये ऑनलाईन ई चालान जनरेट कर कैम्पा खाता में जमा कर चालान की मूल प्रति से इस कार्यालय को अवगत करावे।

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला-कोण्डागाँव (छ.ग.)

